

प्रशासन गाँव सं. 14
30/11/2021

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गाँवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान.....बिजौलियाँ.....

-आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सखारियाँ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलियाँ की अनुशासक के आचार पत्र, राजस्थान नू-राज्य अधिनियम 1958 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम झाडीडी तहसील बिजौलियाँ जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या 22, 23, 89 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>झाडीडी</u>	<u>22, 23</u> <u>व 89</u>	<u>रामचन्द्र पुत्र</u> <u>देवी जाति</u> <u>अहीर अंकित है</u>	<u>नानकराम पुत्र</u> <u>देवीलाल जाति अहीर</u> <u>किया जाता है।</u>



(सीमा निवाडी)
पटवारी अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गाँवों संग अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलियाँ

क्रमांक :- 265/2021

दिनांक :- 26/11/2021

1. तहसीलदार, बिजौलियाँ को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शुद्ध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री नानकराम पुत्र देवीलाल जाति अहीर को सूचनार्थ।
3. सक्षित पत्रावली।
- नि. झाडीडी

(सीमा निवाडी)
पटवारी अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन गाँवों संग अभियान-2021
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलियाँ